PCCF (WL)
प्रबंध निदेशक
APCCF (WL) ...
...

# झारखण्ड सरकार
## वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

## संकल्प

**विषय :— वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित "वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निदेशिका की स्वीकृति के संबंध में।**

"वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण योजना" का उद्देश्य वन्य जीव अपराध के नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना, वन्यप्राणी अपराध से सम्बन्धित आँकड़े (Data Base) संकलित करना ताकि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

2. भारत में वन्यजीवों से संबंधित अपराध अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग प्रकार के हैं। वन्य जीवों से संबंधित अपराधों की संख्या बढ़ने के कारणों में आसानी से पैसा प्राप्त होना, वन्यजीवों के पदार्थों के लिए बाजार की उपलब्धता एवं अपराध रोकने के लिए अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं की कमी भी है। वन्य जीव से जुड़े अपराधों मे इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संलिप्तता सबसे अधिक है जो अपराधों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. झारखण्ड राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 गज आरक्ष तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित हैं एवं 31 प्रादेशिक वन प्रमण्डल अवस्थित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अवैध शिकार के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध के नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्रित कर सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने एवं वन्यप्राणी अपराध से सम्बन्धित आँकडे (Data Base) संकलित करने की आवश्यकता है जिससे कि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

4. "वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण योजना" के अंतर्गत विभाग में एक "**वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ**" गठन का प्रस्ताव है। इस योजना अन्तर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से सम्बंधित मामलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी कार्य किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत जन समुदायों विशेषकर वनक्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों एवं आदिवासियों तथा स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के सम्बंध में जागरूक किया जाएगा।

**5. अतएव, "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के कार्यान्वयन हेतु संलग्न मार्ग–निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है;**

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–01.12.2015 में मद संख्या–4 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक –4/यो0 बजट–47/2015 6424 दिनांक– 21.12.2015

**प्रतिलिपि** :– सानुलग्नक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रेषित। संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचारित करते हुए 100 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव

**ज्ञापांक –4/यो0 बजट–47/2015** 6424 **दिनांक**– 21.12.2015

**प्रतिलिपि**:– सानुलग्नक महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

**ज्ञापांक –4/यो0 बजट–47/2015** 6424 **दिनांक**– 21.12.2015

**प्रतिलिपि**:– सानुलग्नक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची /सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों तथा सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

# <u>वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण</u>

## <u>मार्ग–निदेशिका</u>

इस योजना का उद्देश्य वन्य जीव अपराध के नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना, वन्यप्राणी अपराध से सम्बन्धित आँकड़े (Data Base) संकलित करना है। ताकि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

भारत में वन्यजीवों से संबंधित अपराध अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग प्रकार के हैं। वन्य जीवों से संबंधित अपराधों की संख्या बढ़ने के कारणों में आसानी से पैसा प्राप्त होना, वन्यजीवों के पदार्थों के लिए बाजार की उपलब्धता एवं अपराध रोकने के लिए अपर्याप्त आधारभूत संरचनओं की कमी भी है। वन्य जीव से जुड़े अपराधों में इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संलिप्तता सबसे अधिक है जो अपराधों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

झारखण्ड राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 गज आरक्ष तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित है एवं 31 प्रादेशिक वन प्रमण्डल अवस्थित है, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अवैध शिकार के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध के नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्रित कर सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने एवं वन्यप्राणी अपराध से सम्बन्धित आँकड़े (Data Base) संकलित करने की आवश्यकता है जिससे कि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

इस क्रम में विभाग में एक **"वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ"** गठन करने का प्रस्ताव है। इस योजना अन्तर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से सम्बंधित मामलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी कार्य किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत जन समुदायों विशेषकर वनक्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों तथा स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के सम्बंध में जागरुक किया जाएगा।

वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण योजना के अन्तर्गत वन्य अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायेगें :–

1. **गुप्त सूचना एकत्र करना**– ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से सम्पर्क कर अवैध गतिविधियों/शिकारियों/लकड़ी तस्करों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायगी एवं प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जायेगा।
2. **सघन पेट्रोलिंग**–मौनसून के मौसम में जब जंगल के अन्दर आने जाने के मार्ग अवरुद्ध हो जाते है तो जानवरों के शिकार की आशंका बढ़ जाती है। अतः इस मौसम में स्थानीय लोगों की मदद से पैदल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जायेगी।

वन्यजीव अपराध के विषय में जन समुदायों विशेषकर वनक्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों तथा स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के सम्बंध में जागरुक किया जाएगा।

4. विभाग में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों एवं वन पदाधिकारियों को वन्यजीव अपराध से सम्बंधित मामलों की पहचान, अनुसंधान, अन्वेषण एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी कार्य किया जाएगा।

5. Enforcement बढ़ाने के लिए पुलिस के साथ संयुक्त छापामारी करना।

6. आधुनिक उपकरण जैसे कि संरक्षित क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर infrared कैमरे लगाना एवं चेकनाकों पर CCTV कैमरे लगाना, ड्रोन के माध्यम से कैमरे का उपयोग आदि।

7. चेकनाकों का सुदृढ़ीकरण।

8. वन्यजीव फोरेन्सिक तथा पशुचिकित्सा के लिए सुविधाओं का विकास।

9. वन्यजीव अपराध रोकने के लिए अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन।

10. संवेदनशील स्थलों तथा चेकनाकों पर इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस के तरीके प्रयोग के तौर पर अपनाना।

11. वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए उड़न दस्ता (Mobile Squad) की स्थापना करना जिससे कि सूचना प्राप्त होने पर वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जा सकें।

**<u>वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन</u>**

वन्यजीव अपराध के अन्वेषण में कुछ समस्याएँ आती हैं जैसे कि विशेषज्ञों की कमी, आर्थिक एवं सामाजिक दबाव जिसके कारण अन्वेषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, निचले स्तर के कर्मचारियों का जाँच की विधियों / तरीकों से अनभिज्ञ रहना आदि।

वन्य जीवों से संबंधित अपराधों की जाँच में खाल, बाल, पंजे, नाखून, दाँत, खून, हड्डियाँ आदि साक्ष्य के तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं, किन्तु इनकी पहचान आदि के लिए विशेष प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है जिससे कई बार यह निष्कर्ष निकालना असम्भव हो जाता है कि कौन–से जानवर का शिकार हुआ है।

वन्य जीव अपराध के नियंत्रण हेतु सघन गश्ती, गुप्त सूचना तंत्र, अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं वन्य अपराध के लिए फोरेन्सिक प्रयोगशाला का बहुत महत्व है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर राँची में राज्य का "वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाएगी। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य निम्नवत् होगा:–

1. विभिन्न स्तर के वन एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वन्य प्राणी अपराध से संबंधित विषयों एवं अपराध नियंत्रण के अत्याधुनिक तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करना।

वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो से सामंजस्य स्थापित कर वन्य अपराधों के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाना एवं पड़ोसी राज्यों से तालमेल कर अन्तर्राजीय गिरोहों पर रोक लगाना एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।

3. राज्य में पुलिस की फोरेन्सिक प्रयोगशाला से तालमेल तथा फोरेन्सिक प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजे गए सैम्पल की जाँच हेतु सामंजस्य स्थापित करना।

4. वन्य प्राणी अपराध रोकने हेतु रणनीति तैयार करना, पेट्रोलिंग आदि की समीक्षा करना तथा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना।

5. वन्यजीव अपराध के विषय में जन समुदायों विशेषकर वनक्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों तथा स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के सम्बंध में जागरुक करना।

6. Man-Animal Conflict की घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाना एवं कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

7. वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो के स्वयं सेवी स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों से वन्यप्राणी अपराध के संबंध में सूचना एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर विभिन्न वन्यप्राणी एवं प्रादेशिक प्रमण्डलों को प्रेषित करना।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।